

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 09.10.2021

थाना अकबरपुर

दिनांक 08.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग मु0अ0स0 769/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त कल्लू गोयल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 09.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना शिवली 08, अकबरपुर 07, रसूलाबाद 04, डेरापुर 02, सिकंदरा 02, भोगनीपुर 01, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।